न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद–410 / 2013

भगवती साह वगैरह.....वादीगण

बनाम

सुजीता राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

12.09.24 अभिलेख आज वादी सं0–2 की ओर से दिवानी प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–18.04.2024 तथा प्रतिवादी सं0–3 की ओर से आज दाखिल प्रत्युत्तर पर सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादीगण ने निवेदन किया है कि वर्तमान वाद के वादी सं0–2 गणेश साह की मृत्यु दिनांक–28.02.2024 को हो चुकी है जिनकी पत्नी की मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है तथा वे अपने पीछे तीन पुत्र तथा दो पुत्री को छोड़कर स्वर्गवासी हुए हैं जिनका नाम विधिक उत्तराधिकारी के रूप में वादपत्र में वादी सं0–2 के स्थान पर पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है जिनका हित वादी की सम्पत्ति में निहित है। अतः उपरोक्त प्रतिस्थापन आवेदन को स्वीकृत करते हुए वादी सं0–2 गणेश साह का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादपत्र में पक्षकार के रूप में जोड़े जाने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी सं0–3 ने अपने प्रत्युत्तर में निवेदन किया है कि वादी का आवेदन विधि एवं तथ्य की दृष्टी से पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी का आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जबकि वादी, वादी के परिवार के ही सदस्य है तथा आवेदन सत्यापित एवं शपथ–पत्र से सम्पुष्ट नहीं है तथा परिसीमा अधिनियम के प्रावधान से भी बाधित है। अतः वादी का आवेदन खारिज करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद वादी साथ प्रतिवादी तृतीय पक्ष द्वारा वादपत्र के मद सं0–3 की भूमि पर प्रतिवादी प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के विरुद्ध हकियत की उद्घोषणा हेतु लाया गया है तथा वादी सं0–2 वर्तमान वाद में आवश्यक पक्षकार जिनके विधिक उत्तराकाधिकारियों का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक प्रतीत होते हैं, चूँकि वादी का हित वर्तमान वाद में निहित है। अतः वादी सं0–2 के वारिसान का नाम वादपत्र में प्रतिस्थापित किया जाना वाद के अंतिम न्याय–निर्णयन हेतु आवश्यक प्रतीत होता है। वादी का आवेदन शपथ–पत्र से समर्थित एवं समय–सीमा के अंतर्गत दाखिल है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त प्रतिस्थापन आवेदन न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि आवेदनांकित मृत वादी सं0–2 का नाम वादपत्र से विलोपित कर उनके स्थान पर उनके विधिक उत्तराधिकारियों का नाम वादी खाने में जोड़ें तथा वादी अगली निश्चित तिथि को अविलंब अपना साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

वाद दिनांक– 28–11–2024 वास्ते वादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।